

ORDER SHEET

II-155
C.J.(E)

THE COURT

195 of
2017 B.A

Date of
order or
Proceeding

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessary

13/06/2017
01:15 To 01:30
P.M

आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह द्वारा श्री ब्रजराज सिंह गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित ।

राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री बी.एस. बघेल उपस्थित ।

विचारण न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालय का मूल आपराधिक प्रकरण क्र0-1353/2011 उनवान राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ वि0 बंटी गुर्जर का मूल अभिलेख प्राप्त है ।

आवेदक ब्रजेश के जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-439 द0प्र0सं0 के साथ उक्त जमानत आवेदनपत्र प्रथम जमानत आवेदनपत्र होने के संबंध में आवेदक बंटीसिंह के भाई बब्बू राजा के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है ।

जमानत आवेदनपत्र पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये ।

आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह की ओर व्यक्त किया गया है कि विगत दिनांक को आवेदक की मां की मृत्यु होने से उनकी तेरहवीं व शोक में रहने से वह पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका था । आवेदक दि0-10/10/2016 से निरोध में है तथा दि0-26/12/2016 को उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त कर दिया गया है, वह 7 माह से निरोध में है । वह अपने परिवार में कमाने वाला मात्र एक ही व्यक्ति है । परिवार की देख-रेख करने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है । उक्त आधार पर जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गयी है ।

अभियोजन की ओर से मौखिक रूप से घोर विरोध किया गया है और जमानत आवेदन निरस्त किए जाने पर बल दिया गया है ।

उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण विचारण न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दि0-12/04/2012 को आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह गुर्जर अनुपस्थित हो गया था, उसके जमानत मुचलके जब्त किए गये, उसके बाद दि0-15/12/2012 को उसे फरार घोषित किया गया है और स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है । दि0-27/05/2013 को आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह को स्थाई गिरफ्तारी वारंट के पालन में गिरफ्तार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसे

दि०-०४/०७/२०१३ को जमानत पर रिहा किया गया है। दि०-२२/०६/२०१५ को आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह पुनः अनुपस्थित हो गया है। दि०-२३/०७/२०१५ को उसे गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में प्रस्तुत किया गया। दि०-२८/०९/२०१५ को आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह पुनः जमानत पर रिहा किया गया है, दि०-११/०४/२०१६ को वह पुनः अनुपस्थित हो गया है। दि०-२२/०८/२०१६ को आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह का स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया गया है। उसके बाद दि०-१०/१०/२०१६ को उसे स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में गिरफ्तार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और तब से वह निरोध में है। यह स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह बार-बार अनुपस्थित रहने का आदी है, जिससे कि निश्चित रूप से विचारण अवरुद्ध रहा है, जहां तक कि मां की मृत्यु होने से तेरहवीं व शोक में रहने का प्रश्न है, उससे पूर्व भी आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह दो बार अनुपस्थित रह चुका है। यदि आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह को पुनः जमानत पर रिहा किया जाता है तो निश्चित ही वह पुनः अनुपस्थित हो जायेगा और विचारण अवरुद्ध हो जायेगा। जैसा कि उसके आचरण से स्पष्ट है।

अतः उपरोक्त समस्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त बंटीसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-४३९ बाद विचार **निरस्त** किया जाता है।

जमानत आदेश की प्रति के साथ विचारण/अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस हो।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड